क्रमांक 3856-4 जी0एस0-II-72/22901

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त और सभी उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और सभी जिला तथा सत्र-न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 31-7-72

विषय :—भूतपूर्व सैनिकों द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने से पूर्व अभिप्राप्त अनुभव की गणना ।

श्रीमान्,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के अधीन विभिन्न पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के साथ हसाथ कुछ वर्षों का सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त केवल वही अनुभव मान्य समझा जाता है जो न्युनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात अर्जित किया गया हो। ऐसी व्यवस्था से, बहुत से मामलों में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को काफी कठिनाई होती है, जो थोड़ी शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अल्प आयु में सेना में भर्ती हो जाते हैं और जो फिर बाद में सेना से मारजुक्त होकर परिश्रम करके ओह डिग्रियां आदि प्राप्त कर लेते हैं। उनके मामलों में यह आशा नहीं की जा सकती कि वे न्युनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् उस पद का न्यूनतम आवश्यक अनुभव भी प्राप्त कर ल क्योंकि इससे तो उनके सरकारी सेवा में लिये जाने में पर्याप्त विलम्ब होने की आशंका है ।

2. इस विषय में ऐसे अनुभव की गणना का प्रश्न जो कोई भूतपूर्व सैनिक, किसी पद की विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने से पूर्व ग्रहण करता है, सरकार के विचाराधीन रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ अब यह सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों ने जो अनुभव किसी पद की न्यूनतम विहित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने से पहले या बाद में ग्रहण किये हों, उनकी किसी विशिष्ट पद के लिये पात्रता पर विचार करते समय गणना की जाएगी। यह सुविधा उन्हें तब भी स्वीकार्य होगी जब वे अनारक्षित पदों पर नियुक्त किये जाएं। जहां विहित शैक्षणिक योग्यताएं तकनीकी प्रकृति की है वहां भूतपूर्व सैनिकों का ऐसे पद के लिये वही अनुभव गिना जाएगा जो उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् अर्जित किया है, जैसा कि साधारण उम्मीदवारों के विषय में गिना जाता है ।

3. आप से प्रार्थना है कि इन अनुदेशों का ध्यानपूर्वक पालन किया जाए और इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
हस्ता0
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 3856-4 जी0एस0-II-722/2902 दिनांक चण्डीगढ़ 31-7-72

एक एक प्रति :—

सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग चण्डीगढ़, सचिव, हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती